न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री राजेश मेंवाड़ा (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 147/2018

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. गजेन्द्रसिंह गोद पुत्र बाघसिंह (जायंदा पुत्र हमीरसिंह), जाति राजपुरोहित, निवासी रामासनी बाला, हाल हुलियार रोड, नियर पुष्पांजलि टॉकिज, नेथाजी एक्स्टेंशन, थर्ड क्रोस, हिरीयूर, 577598 तहसील हिरीयूर जिला चित्रदुर्गा (कर्नाटका)		1. बाघसिंह पुत्र लाबुसिह, जाति राजपुरोहित, निवासी रामासनी बाला, तहसील सोजत, जिला पाली। 2 सूरज कंवर पुत्री बाघसिंह, पत्नि शैतानसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी हाल ससुराल इन्द्रा नगरा, हुलीयार, जिला टुमकुर (कर्नाटका) 3 कौशल्या पुत्री बाघसिंह, पत्नि अमरसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी हाल ससुराल टेल्लूगर स्ट्रीट, हसन (कर्नाटका) 4 रेखा कंवर पुत्री बाघसिंह, पत्नि राजेन्द्रसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी हाल ससुराल टूकलिया, तहसील गोटन, जिला नागौर (राज0) 5 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सोजत

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी व धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 92ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित व श्री घनश्यामसिंह राजपुरोहित एवं श्री देवेन्द्र व्यास अधिवक्तागण वादी उपस्थित।
2. श्री गजेन्द्र मेहता अधिवक्ता प्रतिवादीगण उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक— 30.09.2019

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने प्रा0 पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एवं धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत दिनांक 03.07.2019 को इस आशय का पेश किया कि वादी ने यह वाद अपने आप को प्रतिवादी संख्या 1 का गोदीपुत्र होना बताते हुए प्रस्तुत किया है। वादी व प्रतिवादीगण राजपुरोहित जाति के व्यक्ति है। राजपुरोहित जाति के समाज में किसी बालिग व्यक्ति को गोद लेने व देने का रिवाज नही है। वादी ने दिनांक 01.04.1993 को समारोह आयोजित कर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी को गोद लेना बताया, जिससे वादी के जायन्दा माता पिता द्वारा गोद देना स्वीकार करना आदि बताया व उसके करीब 12 वर्ष पश्चात् दिनांक 07.05.2015 सात मई दो हजार पन्द्रह को प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नि द्वारा गोदनामा का दस्तावेज तैयार करवाकर निष्पादित कर पंजीयन कार्यालय सोजत से पंजीबद्ध करवाना बताया है। वह गोदनामा का दस्तावेज प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपनी स्वयं की इच्छा से निष्पादित नहीं करवाया है। जबकि दिनांक 01.04.1993 को या कभी भी गांव रामासनी बाला में गोद की कोई रश्म ही नहीं आयोजित हुई। उस दिन न तो प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

को गोद लिया न ही वादी के माता व पिता ने वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के गोद में बैठाया, उस दिन या कभी भी कोई गोद की कोई रश्म ही नहीं हुई। कोई गिवींग व टेकिंग यानि गोद देना व गोद लेना नही हुआ । यदि दिनांक 01.04.1993 को ही प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी को गोद लिया जाता तो उसी दिन गोदनामा का निष्पादन क्यों नही करवाया। वादी इस वाद के माध्यम से अपने आपको प्रतिवादी संख्या 1 का गोदीपुत्र होना घोषित करवाकर एवं प्रतिवादी संख्या 1 का कोपार्सनर घोषित करवाना चाहता है। राजस्व न्यायालय को गोदी पुत्र घोषित करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने अधिकारों के तहत वादग्रस्त कृषि भूमि की वैध बक्कसीस जरिये रजिस्टर्ड बख्शीशनामा दिनांक 22.08.2017 जो बक्शीशनामा दिनांक 30.08.2017 को रजिस्टर्ड करवाया कर अपनी पुत्रीयां प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के पक्ष में कर दिया, जिसे प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने स्वीकार किया एवं उस बक्शीशनामा के आधार पर जरिये म्यूटेशन संख्या 1180 के प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 के पक्ष में खातेदारी हक प्रदान किये गये को विधिक रूप से अवैध व शुन्य बता रहा है। जिसके लिए अपने आप ही विधिक कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होना बता रहा है, जबकि वह रजिस्टर्ड बख्शीशनामा अस्तित्व में है व उससे प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 को वादग्रस्त भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। वादी जब तक उक्त बक्शीशनामा को निरस्त या अवैध व शून्य घोषित नहीं करवा लेता, तब तक वादी को वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में कोई किसी प्रकार की सहायता प्राप्त कतई नही हो सकती। रजिस्टर्ड बख्शीशनामा को निरस्त करने या बख्शीशनामा को अवैध व शून्य घोषित करवाने का राजस्व न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने अपने विधिक अधिकारों के तहत वादग्रस्त भूमि में से खसरा नम्बर 701, 702, 703 व खसरा नम्बर 677 में 1/16 हिस्सा खातेदारी में से 5/12 हिस्सों यानि कुल आराजी में से 5/192 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.10.2018 को श्रीमति पदमा पत्नि रावतराम देवासी निवासी रामासनी बाला तहसील सोजत को विक्रय कर दिया। जिसके जरिये श्रीमाति पदमा को उस वादग्रस्त भूमि के 1/16 हिस्सा खातेदारी हक में से 5/12 हिस्सा खातेदारी हक यानि आराजी में से 5/192 वां हिस्सा खातेदारी हक विधिक रूप से प्राप्त हो चुके है। जो वादी द्वारा दिनांक 01.11.2018 को वाद–पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व प्राप्त हो चुके है। जो श्रीमति पदमा के खातेदारी अधिकार अस्तित्व में है। उसके अस्तित्व में रहते हुए वादी उसे भी इस वाद के माध्यम से परोक्ष रूप से निरस्त नहीं करवा सकता। इस बाबत् भी राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में यह वाद न्यायालय हाजा में क्षेत्राधिकार के अभाव में पोषणीय नहीं है। इस प्रकार अधिवक्ता वादी ने अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादी का वाद क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज फरमाने की ईश्तदुआ की है।

वकील मय वादी ने यह राजस्व वाद सरकार 147/2018 दिनांक 01.11.2018 को अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा रामासनी बाला में प्रविादी संख्या एक की पुश्तैनी अर्थात् पूर्वजों से प्राप्त कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 1 रकबा 1.4000 किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 6 रकबा 0.9600 किस्म बारानी, खसरा नम्बर 1326/1 रकबा 0.2500 किस्म बंजड़ व चाही, खसरा नम्बर 1334 रकबा 0.3100 किस्म चाही प्रथम कुल रकबा 2.92 हैक्टेयर खातेदारी की स्थित है, जो प्रतिवादी संख्या एक को अपने पिता व दादा से विरासत में प्राप्त हुई

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

है। प्रमाण में मिलान क्षेत्रफल एवं सेटलमेंट पूर्व की खतोनी साथ पेश की है। सेटलमेंट पूर्व उपरोक्त भूमि के खसरा नम्बर क्रमश 1,5 मीन, 722 व 724 थे। उपरोक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को उनके पिता से विरासत में म्यूटेशन संख्या 16 के जरिए प्राप्त हुई। इसी तरह ग्राम रामासनी बाला में प्रतिवादी संख्या एक और वादी के जायंदा पिता हमीररिंह की संयुक्त खातेदारी की पैतृक अर्थात् पुश्तैनी पूर्वजों से प्राप्त कृषि भूमि हाल खसरा नंबर 889/1 रकबा 2.0000 बंजड़ व चाही सोयम कृषि भूमि स्थित है, जिसके सेटलमेंट पूर्व खसरा नम्बर 526 थे। उपरोक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या एक का आधा हिस्सा है। उपरोक्त भूमि भी प्रतिवादी संख्या एक को उनके पिता व दादा से विरासत में प्राप्त हुई है। उपरोक्त भूमि प्रतिवादी संख्या एक को उनके पिता से विरासत में म्यूटेशन संख्या 17 के जरिए प्राप्त हुई है। उक्त वादग्रस्त भमि में विधिक रूप से वादी का 1/5 हिस्सा बनता है, क्योकि प्रतिवादी संख्या एक गोदी पिता है तथा प्रतिवादी संख्या दो से चार बहनें है एवं पांचवा वादी स्वयं गोदी पुत्र है। इस प्रकार विधिक रूप से वादग्रस्त कृषि भूमि का वादी 1/5 हिस्से का खातेदार गोद लिए जाने की दिनांक से ही हो चुका है, जिसकी मात्र घोषणा ही शेष है, इस हेतु वाद पेश किया जा रहा है। वादी जायंदा पुत्र हमीरसिह का है तथा प्रतिवादी संख्या 1 और उसकी पत्नी ने वादी को दिनांक 01.04.1993 को गांव रामासनी बाला में विधिवत् रूप से समारोह आयोजित कर समस्त परिवाजन, रिश्तेदारान, बहने, बेटिएं, समाज एवं गांव के मौजीज व्यक्तियों को आमंत्रित कर सभी की उपस्थिति में हिन्दु जाति, धर्म, रश्म–रिवाज अनुसार एवं राजपुरोहित समाज में गोद लेने के रश्मों–रिवाज अनुरूप गोद लिया था। जिसमें वादी के जायंदा माता–पिता ने प्रतिवादी संख्या 1 व उसकी पत्नी को गोद देना स्वीकार किया था और प्रतिवादी संख्या 1 व उसकी पत्नी ने गोद लेना स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या एक ने गोद में बैठाकर जाति रिवाज परम्परा अनुसार तिलक लगाकर विधि–विधान से मौलिया बांधकर गोद की रश्म पुरी की थी और गुड़–धाणे बांटकर सामुहिक भोज का आयोजन किया था। जिसमें गांव के प्रमुख मौजिज सभी नागरिक, रिश्तेदार, इत्यादि शामिल हुए थे। उस दिन से वादी का अपने जन्मदाता पिताजी व माताजी से रिश्ता समाप्त हो गया था तथा गोद लेने वाले पिताजी प्रतिवादी संख्या 1 व उसकी पत्नी से बतौर पुत्र नाता जुड गया था। तब से वादी प्रतिवादी संख्या एक के साथ पुत्रवत् रहता आया है। राजपुरोहित समाज में मौखिक गोद लेने पर किसी प्रकार की कोई रोक अथवा बाधा नहीं है, साथ ही गोद लेने हेतु आयु की कोई बाध्यता नही अर्थात किसी भी आयु के लडके–लड़की को गोद लिया जा सकता है और दिया जा सकता है। गोद जाने के समय वादी नाबालिग था, इसलिए वादी का पालन–पोषण प्रतिवादी संख्या एक व उनकी पत्नी ने ही बालिग होने तक किया। बाद मे वादी नौकरी के सिलसिले में कर्नाटक चला गया था, वहीं पर नौकरी करते–करते अपना व्यवसाय शुरू किया। वर्तमान मे वादी अमरूथुर जिला टुमकुर (कर्नाटका) में व्यवसायरत है। प्रतिवादी संख्या एक की स्वयं की कोई आय पूर्व में नही थी, क्योकि कृषि कार्य के अलावा अन्य कोई व्यवसाय नही था। वादी के जायंदा पिता का पहले से ही कर्नाटका में व्यवसाय था। प्रतिवादी संख्या दो से चार की शादियां भी वादी के जायंदा पिता द्वारा ही अपने खर्चे से की थी। प्रतिवादी संख्या दो व तीन की शादी वर्ष 1993 में एक साथ की गई थी और प्रतिवादी संख्या चार की शादी मे वर्ष 1997 में की गई थी। वादी के बालिग होने के बाद तथा नौकरी एवं अपना व्यवसाय शुरू करने के बाद प्रतिवादी संख्या एक और उनकी पत्नी का बतौर पुत्र वादी ही सेवा चाकरी एवं भरण पोषण करके ईलाज करवा रहा है। वादी ही देखभाल कर रहा है, संपूर्ण परिवार का भरण पोषण इत्यादि खर्चा

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

वादी कर रहा है। प्रतिवादी संख्या दो से चार के पीहर आने पर कपड़े सिखे इत्यादित वादी ही अपनी आय से दे रहा है अर्थात् संपूर्ण परिवार का समस्त व्यय का वादी ही निर्वहन कर रहा है। प्रतिवादी संख्या एक और उसकी पत्नी का आंखों का मौतिया का आपरेशन भी पाली मे वादी ने ही अपने खर्चे से करवाया है। गांव मे पुराने मकान के स्थान पर नया मकान करीब तीन वर्ष पूर्व वादी ने ही अपनी आय से गांव के ठेकेदार हुसैन को माल मेटेरियल सहित ठेका देकर 18 से 20 लाख रूपये खर्च कर बनवाया था। जिसमें प्रतिवादी संख्या एक अपनी पत्नी के साथ वादी निवास करते है। प्रतिवादी संख्या एक को वर्ष 2013 मे गले की कैंसर की गंभीर बीमारी हो गई थी, जिसका संपूर्ण ईलाज बतौर पुत्र वादी ने ही बैगलोर ले जाकर हैल्थ कैयर ग्लोबल हॉस्पीटल से करवाया है, करीब छः महीने प्रतिवादी एक को वादी ने अपने पास ही रखा। तत्पश्चात वर्ष 2015 जनवरी तक ईलाज लगातार चला था। उपरोक्त संपूर्ण ईलाज का खर्चा वादी ने ही किया है, जो करीब 21–22 लाख रूपये केवल अस्पताल के दवाई एवं ईलाज के खर्च हुए थे। इसके अलावा अन्य खर्चा 3 से 4 लाख रूपये और हुए है, जो संपूर्ण खर्चा भी बतौर पुत्र वादी ने ही वहन किया है और वादी ने तन–मन–धन से पूर्णरूप से प्रतिवादी संख्या एक की पुत्रवत् सेवा चाकरी की है और कर रहा है। मौखिक गोद की कार्यवाही होने से राजकीय दस्तावेज मे वादी के पिता का नाम पूर्ववत् हमीरसिंह ही दर्ज चला आ रहा है, क्योकि किसी भी राजकीय दस्तावेज में पिता के नाम की वल्दियत बताये जाने पर गोदीपुत्र बताने पर दस्तावेज की मांग की जाती है, लेकिन दस्तावेज नही होने से हर दस्तावेज में वादी के पिता का नाम हमीरसिंह ही दर्ज होता रहा है। जबकि गोदी पिता बाघसिंह का नाम दर्ज होना चाहिए था। प्रतिवादी संख्या एक द्वारा बनाये गये राशन कार्ड में वादी का नाम बतौर पुत्र के प्रतिवादी संख्या एक स्वयं ने वर्ष 1993–94 में ही दर्ज करवा दिया था, जो इसी तरह प्रतिवादी संख्या एक और उनकी पत्नी द्वारा बनाये गये भामाशाह कार्ड में भी वादी को पुत्र के रूप में दर्ज किया गया। इस तरह से वादी प्रतिवादी संख्या एक गोदी पुत्र होना प्रतिवादी संख्या 1 ने अनेकानेक बार दस्तावेजी साक्ष्य से स्वीकार किया, लेकिन वादी के आधारकार्ड इत्यादि में गोदी पिता का नाम दर्ज नहीं होने के कारण वादी की दो–दो वल्दियत अलग अलग दर्ज हो रही है। इसी संबंध में वादी ने प्रतिवादी संख्या एक को उपरोक्त स्थिति के संबंध में बताया, तब प्रतिवादी संख्या एक और उनकी पत्नी किस्तुरीकंवर ने स्वेच्छा से गोदनामा का एक दस्तावेजात दिनांक 07.05.2015 को सोजत में स्वयं ने तैयार करवाया और वादी के जायंदा माता पिता की सहमति और वादी की सहमति से गोदनामा का दस्तावेजात सभी ने निष्पादित कर उप पंजीयक, सोजत के कार्यालय से पंजीबद्ध करवाया है। पंजीबद्ध गोदनामा की प्रमाणित प्रति साथ पेश की है। असल गोदनामा प्रतिवादी संख्या एक के पास ही है, जिसे वक्त जरूरत प्रतिवादी संख्या एक से माननीय न्यायालय में तलब करवाया जावेगा। इस प्रकार वादी प्रतिवादी संख्या एक का दिनांक 01.04.1993 से विधिवत् गोदी पुत्र है और उपरोक्त दिनांक से ही प्रतिवादी संख्या एक के परिवार का हिस्सा बन चुका है तथा प्रतिवादी संख्या एक के परिवार का हिस्सा बन चुका है तथा प्रतिवादी संख्या एक का गोदी पुत्र होने से प्रतिवादी संख्या एक की सम्पति में बतौर कोपार्सनर गोद लिये जाने की दिनांक से ही सहस्वामी हो चुका है और उपरोक्त दिनांक के बाद प्रतिवादी संख्या एक को अकेले को विरासत में प्राप्त पुश्तैनी सम्पति को विक्रय, हस्तान्तरण, रहन, बक्शीश करने का कोई अधिकार नहीं है। विधिक रूप से गोद लिये जाने की दिनांक से वादी प्रतिवादी संख्या एक के परिवार का हिस्सा हो चुका है। चूंकि पश्चात्वर्ती क्रम मे उपर दर्ज अनुसार प्रतिवादी संख्या एक और उनकी

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

पत्नी ने वादी के पक्ष में पंजीबद्ध गोदनामा निष्पादित कर दिया है ऐसी स्थिति में जब तक उपरोक्त दस्तावेजात अस्तित्व मे है, विधिक रूप से वादी प्रतिवादी संख्या एक का गोदीपुत्र होने की उपधारणा की जायेगी। दिनांक 01.04.93 को प्रतिवादी संख्या एक द्वारा वादी को गोद लिए जाने के दिन से वादी वादग्रस्त भूमि में बतौर कोपार्सनर विधिवत् रूप से खातेदार हो चुका है, जिसकी घोषणा करवाने का वादी अधिकारी है, इसलिए वाद पेश किया जा रहा है। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी संख्या एक को अकेले व्ययन, हस्तांतरण करने का विधिक रूप से कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि गोद की दिनांक से ही वादी उपरोक्त वादग्रस्त भूमि बाबत स्वतः ही खातेदार कोपार्सनर के नाते हो चुका है और वादी बतौर कोपार्सनर वादग्रस्त भूमि का विभाजन करवाने का अधिकारी है। लेकिन वादी को अपने पैतृक, पुश्तैनी कोपार्सनर के रूप से प्राप्त होने वाले हिस्से से वंचित रखने के लिए प्रतिवादी संख्या एक ने अपनी जायंदा पुत्रियां प्रतिवादी संख्या दो से चार के हक में बिना किसी पारिवारिक आवश्यकता के एक बख्शीशनामा दिनांक 30.08.2017 को उप पंजीयक, सोजत से पंजीबद्ध करवा दिया और उसके आधार पर राजस्व रेकर्ड में जरिए म्यूटेशन 1180 अमल दरामद करवा दिया। उपरोक्त बख्शीश नामा वादी के कोपार्सनरी खातेदार हक हकूक व अधिकार तक शुन्य व निष्प्रभावी है, जिसके लिए अलग से घोषणा करवाई जाने की आवश्यकता नहीं है और इसके आधार पर पारित म्यूटेशन संख्या 1180 भी विधिक रूप से अवैध व शून्य है, जिसके लिए भी अलग से विधिक कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। मूल अनुतोष कोपार्सनरी हक अधिकार के आधार पर वादी को अपने हिस्से का खातेदार घोषित करने हेतु उपरोक्त वाद पेश किया जा रहा है। वादी उपरोक्त प्रतिवादी संख्या एक को पैतृक व पुश्तैनी रूप से प्राप्त होने वाली वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से की भूमि का विभाजन बाई मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर करवाने का अधिकारी है तथा लगान का भी निर्धारण करवाए जाने, भूमि को तरमीम करवाए जाने, अलग अलग खाते किए जाने हेतु भी विभाजन का वाद पेश किया जा रहा है। वादग्रस्त भूमि में वादी के पैतृक, पुश्तेनी रूप से बनने वाले हिस्से तक उपरोक्त प्रतिवादी संख्या एक द्वारा प्रतिवादी संख्या दो से चार के पक्ष में निष्पादित बख्शीशनामा अवैध व शून्य वृत है और उनके प्रतिवादी संख्या दो से चार को कोई हक हकूक अधिकार प्राप्त नही होते है। उपरोक्त दस्तावेज केवल और केवल वादी को अपने हिस्से से महरूम रखने के लिए प्रतिवादी संख्या एक से चार ने मिलावट कर निष्पादित किया है, जो वाद–पत्र में वर्णित तथ्यों और गोदनामा व बख्शीशनामा के अवलोकन से ही स्पष्ट है। जब तक प्रतिवादी संख्या एक को वादी और वादी के जायंदा पिता इत्यादि की आवश्यकता थी पूरा उपयोग किया और जैसे ही आवश्यकता समाप्त हुई तो अपनी बेटियां प्रतिवादी संख्या दो से चार की सिखावट में आकर वादी को उपरोक्त संपत्ति से अपने हिस्से से महरूम रखने हेतु उपरोक्त बख्शीशनामा निष्पादित कराकर पंजीयन करा दिया ताकि प्रतिवादी संख्या एक को सौ वर्ष पहुचने के बाद वादी कोई हक हकूक अधिकार प्राप्त नही हो सकें। लेकिन वादी को तो प्रतिवादी संख्या एक द्वारा दिनांक 01.04.1993 को गोद लिए जाने की दिनांक से ही कोपार्सनर के नाते अपने हिस्से के खातेदारी हक हकूक अधिकार प्राप्त हो चुके है, केवल घोषणाा करवानी शेष है, जिस हेतु उपरोक्त वाद पेश किया जा रहा है। वाद ग्रस्त भूमि पर वादी ही बालिग होने के समय से लगाकर अब तक काश्त करवाता रहा है अर्थात् चूंकि वादी तो बाहर रहता है, अधिकांशतः प्रतिवादी संख्या एक भी पूर्व में वादी के साथ ही बाहर कर्नाटक ही रहते थे। वादग्रस्त भूमि पर कृषि कार्य वादी ही काश्तकारों से करवाता रहा है इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पर कब्जा व काश्त वादी का ही अपनी

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

समझ–समझाईश से चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या एक से चार वादग्रस्त भूमि को आगे से आगे हस्तांतरण, व्ययन, रहन करने पर आमादा है। जैसे ही प्रतिवादीगण को उक्त वाद की जानकारी होगी तो वादी को अपने विधिक हिस्से से महरूम रखने के लिए प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि को आगे से आगे बेचाण, हस्तांतरण कर देंगे, क्योकि ऐसी ही प्रतिवादीगण ने वादी को आज से करीब 15–20 दिन पूर्व धमकी भी दी है। जब वादी को बख्शीश नामा की जानकारी हुई, तब वादी ने प्रतिवादी संख्या एक से चार से मिलकर निवेदन किया कि ऐसी वादी ने प्रतिवादी संख्या एक की सेवा चाकरी में और प्रतिवादी संख्या दो से चार के भाई के रूप में वादी ने क्या कमी रखी है? जिसके बदले में प्रतिवादीगण ने वादी के साथ ऐसा सलूक किया है। वादी और वदी के जायंदा पिता ने प्रतिवादी संख्या एक और उसकी पत्नी के ईलाज में, गांव में प्रतिवादी संख्या एक के मकान निर्माण में और प्रतिवादी संख्या दो से चार की शादियों में करीब एक करोड़ से भी अधिक की राशि खर्च कर दी है। वादी को वादग्रस्त भूमि का कोई लोभ–लालच नहीं है, बल्कि इस बात का दुःख है कि इतनी सेवा करने, ईलाज करवाने, बहनों को पूरा मान–सम्मान देने के बाद भी केवल वादी को उपयोग करके छोड़कर संपत्ति को अवैध व शून्यवृत्त दस्तावेज से प्रतिवादी संख्या एक ने प्रतिवादी संख्या दो से चार को अंतरित कर दी, जो कृत्य अवैध तो है ही साथ ही सामाजिक रूप से भी बहुत ही जलील करने वाला है, भविष्य में कोई भी गोदी बेटा कौन अपने गोदी माता–पिता की सेवा करेगा, गोदी बहनों को मान–सम्मान देगा, उनके समस्त खर्चों का निर्वहन करेगा। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि को आगे–से–आगे बेचाण, हस्तांतरण, व्ययन, रहन नहीं करें, अन्यथा वादी को होने वाली क्षति का मूल्यांकन मुद्रा में भी संभव नहीं है। पक्षकारान के मध्य वाद–विवाद व मुकदमेबाजी बढेगी तथा विधिक रूप से वादी कोपार्सनर के रूप में वादग्रस्त भूमि अवश्य हिस्सा प्राप्त रहेगा इसलिए सुविधा का संतुलन पूर्ण रूप से वादी के पक्ष में है। दिनांक 01.04.1993 को प्रतिवादी संख्या एक द्वारा वादी को गोद लिए जाने के दिन से वादी वादग्रस्त भूमि में बतौर कोपार्सनर विधिवत् रूप से खातेदार हो चुका है केवल घोषणा होनी शेष है। चूंकि कोपार्सनर अपनी पैतृक, पुश्तैनी संपत्ति में पिता के जीवन काल में ही खातेदारी की घोषणा एवं विभाजन विधिक रूप से करवा सकता था, जिस संबंध में उपरोक्त वाद पेश किया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 5 भूमिधारी होने से फोरमल पक्षकार है, जिसके विरूद्ध वादी कोई अनुतौष नहीं है इसलिए बिना धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस दिए वाद पेश किया जा रहा है। वाद कारण बमुकाम रामासनी बाला सर्वप्रथम दिनांक 01.04.1993 को उत्पन्न हुआ, जब वाद–पत्र के उपर के पर्दों में दर्ज अनुसार जाति–रिवाज–रस्म अनुसार प्रतिवादी संख्या एक और उसकी पत्नि ने वादी के जायंदा पिता व माता से गोद लिया और गोद की रस्म पूरी की थी, तब से वादी प्रतिवादी संख्या एक के गोदी पुत्र के रूप में उनके साथ ही रहता आया है तथा इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है, तत्पश्चात विधिवत् रूप से गोदनामा का दस्तावेज भी उक्त तथ्यों की पुष्टि के सबंध में प्रतिवादी संख्या एक और उसकी पत्नी ने दिनांक 07.05.2015 को निष्पादित कर उप पंजीयक, सोजत से पंजीबद्ध करवाया है। इस तरह से वादी प्रतिवादी संख्या एक का विधिक रूप से गोदी पुत्र होने से वादी प्रतिवादी संख्या एक को पुश्तैनी रूप से प्राप्त वादग्रस्त कृषि भूमि का कोपार्सनर के आधार पर खातेदार हो चुका है। लेकिन प्रतिवादी संख्या एक से चार ने वादी को उपरोक्त कोपार्सनर के रूप में प्राप्त होने वाली खातेदारी भूमि से वंचित रखने के लिए उपर के पदों में दर्ज अनुसार दिनांक

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

30.08.2017 को पंजीबद्ध बख्शीशनामा प्रतिवादी संख्या 1 ने 2 से 4 के पक्ष में निष्पादित कर दिया और उसके आधार पर राजस्व रेकर्ड में म्यूटेशन संख्या 1180 द्वारा वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या दो से चार का नाम दर्ज कर दिया, जो दस्तावेज और म्यूटेशन अवैध व शून्यवृत्त है। लेकिन उसके आधार पर प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि को आगे–से–आगे बेचाण, हस्तांतरण करने पर अमादा होने से वाद कारण बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण उपरोक्तानुसार उत्पन्न हुआ है। वादग्रस्त भूमि ग्राम रामासनी बाला तहसील सोजत में स्थित होने, वाद खातेदारी घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का होने से न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। इस प्रकार अधिवक्ता वादी ने वाद–पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी को 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने तथा उक्त वादग्रस्त भूमि का वाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन किया जाने एवं लगान का अलग–अलग निर्धारण किया जाकर अलग–अलग खाते दर्ज करते हुए राजस्व नक्शे व मौके पर भूमि को तरमीम व विभाजित की जाने तथा मौके पर अलग–अलग मांठे कायम किये जाने तथा उक्त वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादीगण द्वारा अन्य किसी को आगे से आगे बेचाण, हस्तांतरण, रहन, व्ययन नहीं करने तथा वादी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी करने से जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ क है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस वास्ते जबाब दावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 5 को बावजूद तामिली/सूचना बार बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 03.7.2019 एक पक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 03.07.2019 को श्री गजेन्द्र मेहता अधिवक्ता ने प्रतिवादी सांख्या 1 से 4 की ओर से वकालतनामा तथा प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 07 नियम 11 तथा धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया, प्रतिलिपि अधिवक्ता वादी को दिलाई गई, सा0मिसल किया गया। दिनांक 03.07.2019 को प्रस्तुत उक्त प्रा0 पत्र का जबाब दरख्वास्त उपस्थित अधिवक्ता वादी श्री देवेन्द्र व्यास द्वारा पेश करना नहीं चाहने पर जबाब बन्द किया जाता है। बहस प्रा0 पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी हेतु वकुलाय उभय पक्ष तैयार है।

बहस वकुलाय उभय पक्ष दरख्वास्त आदेश 07 नियम 11 सीपीसी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रतिवादी ने व्यक्त किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण राजपुरोहित जाति के व्यक्ति है, जिनमें किसी व्यक्ति को गोद लेने व देने का रिवाज नहीं है। दिनांक 01.04.1993 को समारोह कर गोद लेना तथा जायन्दा माता पिता द्वारा गोद देना स्वीकार किये जाने के तथ्य अंकित किये है। किन्तु उक्त तिथि से 12 वर्ष पश्चात दिनांक 07.05.2015 को गोदनामा का दस्तावेज तैयार/निष्पादित कर पंजीबद्ध प्रतिवादी संख्या 1 की ईच्छा से निष्पादित नहीं करवाया है। गोदनामा की कोई रस्म नहीं हुई तथा न ही गोद दिये जाने या लिये जाने गिविंग/टेकिंग नहीं की गई। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने अधिकारों के तहत् वादग्रस्त कृषि भूमि का वैध वख्शीश नामा पंजीबद्ध दिनांक 30.08.2017 को प्रतिवादी सख्या 2 से 4 के पक्ष में किया है। उक्त पंजीबद्ध बख्शीश नामा के आधार पर जरिए म्यूटेशन संख्या 1180 से उन्हे खातेदारी अधिकार दिये गये है। उक्त बख्शीशनामा को सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया है तथा पंजीबद्ध दस्तावेजात को अवैध व शून्य करार सक्षम सिविल न्यायालय को है बल्कि राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने अपने विधिक अधिकारों की भूमि ख0न0 701, 702, 703 व 677 की

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

कुल आराजी में से 5/192 हिस्सा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.10.2018 को पदमा पत्नि रावतराम देवासी रामासनी बाला को विक्रय किया, जिसके खातेदारी अधिकार विधिक रूप से वाद प्रस्तुत करने से पूर्व दिनांक 01.11.2018 को उन्हे हो चुके है। इस प्रकार गोदनामा पंजीबद्ध की वैधता तथा पंजीबद्ध बख्शीश नामा तथा विक्रय विलेख आदि को निरस्त करने के अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। न्यायालय हाजा का क्षेत्राधिकार नहीं होने से अधिकार क्षेत्र के अभाव में पोषणीय नहीं होने से प्रा0 पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किये जाने तथा उक्त वादी मय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किये जाने तथा उक्त वादी मय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज योग्य है। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 ने न्यायिक दृष्टांत/उद्धरण क्रमशः DNJ 2016 Raj पेज 1151, AIR 2016 Chh पेज 195, AIR 2018 Raj पेज 143, AIR 2010 SC पेज 2807, AIR 1990 SC पेज 540, DNJ 2008(3) SC पेज 857 प्रस्तुत कर चूंकि उक्त वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है अर्थात् सक्षम सिविल न्यायालय होने से उक्त वाद खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है। जिसके जबाब बहस दरख्वास्त आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में अधिवक्ता वादी श्री देवेन्द्र व्यास ने व्यक्त किया कि वादी के पक्ष में गोदनामा तहरीर होकर पत्रावली पंजीबद्ध करवाया गया है, गिविंग एवं टेकिंग हो चुकी है। बख्शीशनामा पश्चातवर्ती है, जिसे यधपि किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया गया है तथापि बख्शीशनामा गलत रूप से तहरीर/पंजीबद्ध करवाया है प्रा0 पत्र नियम 07 आदेश 11 सीपीसी वर्तमान स्टेज पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है, प्रतिवादीगण द्वारा ज0दा0 साक्ष्य सबूत दस्तावेजात पेश करने के पश्चात् कायमी तनकियात होकर विवेचन/विश्लेषण के पश्चात् मेरिट के आधार पर वाद निस्तारित किया जा सकता है। प्रा0 पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों के कोई ठोस कारण/सबूत प्रा0 पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अधिवक्ता वादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में कोई न्यायिक दृष्टांत/उद्धरण पेश नहीं किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 से द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी वाद पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेज का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। बहस वकुलाय पर भी गौर कर मनन किया गया। अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों/उद्धरणों पर भी गौर कर मनन किया गया। अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पंजीबद्ध गोदनामा पर 39 नियम के तहत उपपंजीयक सोजत के स्पष्ट रूप से नोट "उक्त प्रस्तुत दस्तावेज में गोद जाने वाला व्यक्ति बालिग है। दस्तावेज की विधि मान्यता की जांच का अधिकार उपपंजीयक को नहीं होने से श्रीमान महानिरीक्षक महोदय के पत्रांक/पी0 (59) जंस/11/28966 दिनांक 12.12.2011 के द्वारा दिये गये मार्गदर्शन के अनुसार दस्तावेज पंजीबद्ध कर लौटाया गया" अंकित किया गया। वस्तुतः विवादग्रस्त भूमि से सम्बद्ध पंजीबद्ध गोदनामा/बख्शीश नामा तथा विक्रय विलेखों को निरस्त किये जाने के उक्त अधिकार न्यायालय हाजा को नहीं होकर सक्षम सिविल न्यायालय को है। गोदनामा पर अंकित नोट अनुसार प्रस्तुत गोदनामा दस्तावेज में गोद जाने वाला व्यक्ति बालिग होने से श्रीमान् महानिरीक्षक महोदय पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा दिये गये मार्गदर्शन अनुसार दस्तावेज पंजीबद्ध कर लौटाया गया है। इसके अतिरिक्त पश्चावर्ती पंजीबद्ध बख्शीश नामा एवं विक्रय विलेख गोदनामा

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

आदि को विधि सम्मत घोषित करने अथवा निरस्त किये जाने के अधिकार सक्षम न्यायालय मात्र को है। अधिवक्ता प्रति0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत/उद्धरण भी अधिवक्ता प्रति0 द्वारा बहस के तथ्यों एवं प्रा0 पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के वर्णित व तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित प्रतीत होने से आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के पृथक से प्रावधान है, जिसके तहत पंजीबद्ध दस्तावेज के वैधता को चुनौती के मेरिट पर सुनने का अधिकार न्यायालय हाजा को नहीं होकर सक्षम सिविल न्यायालय को ही है। अधिवक्ता वादी द्वारा बहस के दौरान दिये गये तथा विधि मान्य तथा न्यायोचित नही है। लिहाजा अधिवक्ता प्रति0 द्वारा प्रस्तुत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रा0 पत्र चूंकि उक्त वाद को सुनने का अधिकार न्यायालय हाजा को नहीं होने से अर्थात् क्षैत्राधिकार से बाहर होने से स्वीकार किया जाता है। फलस्वरूप प्रस्तुत वाद को सुनने का न्यायालय हाजा क्षेत्राधिकार का नहीं होने से पोषणीय नहीं है, तत्काल प्रभाव से खारिज किया जाना उचित समझते है।

—: आदेश :—

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। फलस्वरूप अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद न्यायालय में चलने योग्य नहीं होने से एवं न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार का नहीं होने से पोषणीय भी नहीं है। लिहाजा उक्त वाद खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.

यह निर्णय आज दिनांक 30.09.2019 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
बईजलाश श्री राजेश मेवाड़ा (आर.ए.एस.)

वादीगण

1. गजेन्द्रसिंह गोद पुत्र बाघसिंह (जायंदा पुत्र हमीरसिंह), जाति राजपुरोहित, निवासी रामासनी बाला, हाल हुलियार रोड़, नियर पुष्पांजलि टॉकिज, नेथाजी एक्स्टेंशन, थर्ड क्रोस, हिरीयूर, 577598 तहसील हिरीयूर जिला चित्रदुर्गा (कर्नाटका)

बनाम

प्रतिवादीगण

1. बाघसिंह पुत्र लाबुसिह, जाति राजपुरोहित, निवासी रामासनी बाला, तहसील सोजत, जिला पाली।
2. सूरज कंवर पुत्री बाघसिंह, पत्नि शैतानसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी हाल ससुराल इन्द्रा नगरा, हुलीयार, जिला टुमकुर (कर्नाटका)
3. कौशल्या पुत्री बाघसिंह, पत्नि अमरसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी हाल ससुराल टेल्लूगर स्ट्रीट, हसन (कर्नाटका)
4. रेखा कंवर पुत्री बाघसिंह, पत्नि राजेन्द्रसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी हाल ससुराल टूकलिया, तहसील गोटन, जिला नागौर (राज0)
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सोजत

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सोजत (पाली)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी व धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 92ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मु0नं0 :– राजस्व वाद संख्या :– 147/2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित व श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित व श्री घनश्यामसिंह राजपुरोहित एवं श्री देवेन्द्र व्यास अधिवक्तागण वादी तथा अधिवक्ता श्री गजेन्द्र मेहता प्रतिवादी संख्या 1 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। फलस्वरूप अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद न्यायालय में चलने योग्य नहीं होने से एवं न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार का नहीं होने से पोषणीय भी नहीं है। लिहाजा उक्त वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 30.09.2019 को जारी की गई।

(राजेश मेवाड़ा)
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
(जिला–पाली)

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य
मीजान	शून्य	शून्य	मीजान	शून्य	शून्य

Scanned by CamScanner